समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी

III/निगरानी/अशोकनगर/2017/2146

1. चिमनलाल सडाना पुत्र श्री गुलजारीलाल सडाना
2. प्रेमसडाना
3. राजेश सडाना समस्त निवासीगण गोपालगंज रघुवंशीगंज अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

शम्भूलाल पुत्र श्री हसंराज अग्रवाल निवासी गोपालगंज रघुवंशीगंज अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

.....अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 10-7-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग अशोकनगर प्रकरण क 01/विविध /2017 मे पारित आदेश दिनांक 22.4.2017 के विरूद्ध निगरानी ।

10/7/17

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , अनावेदक शम्भूदयाल अग्रवाल द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वताया गया कि अशोकनगर स्थिति सुन्दर धर्मशाला पर नवनिर्माण करवाकर संपत्ति का पूर्ण से निजी उपयोग किया जारहा है। इस सम्वध मे शिकायत की गई जवकि अनावेदक को शिकायत करने का कोई अधिकार व लोकसस्टेडी नही है। जवकि उक्त भूमि स्वयंम आवेदकगण द्वारां के पूर्वजो द्वारा अनावेदक के पिता से ही भूमि को कृय किया है इसलिये अनावेदक को शिकायत करने का कोई अधिकार नही है। आवेदकगण की स्वयंम की अर्जित

(10)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–तीन / निग0 / अशोकनगर / भू0रा0 / 2017 / 2146

चिमनलाल सडाना एवं अन्य 2 विरूद्ध शम्भूलाल

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-03-18	यह निगरानी प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग अशोकनगर जिला अशोकनगर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 01 / विविध / 2017 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2017 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि आवेदक गण द्वारा सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति **सुन्दर धर्मशाला** का नव निर्माण कर निजी उपयोग किया जा रहा है। अनावेदक की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय में प्रकरण पंजीवद्ध कर सुनवाई प्रारंभ करते हुए आवेदक से **सुन्दर धर्मशाला** उसके नाम कैसे आई इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.04.17 को जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 22.04.17 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गयी है। प्रकरण में आवेदकगण की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित एवं अनावेदक की ओर से श्री बी0के0 अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है। जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से भी	

प्रकरण क्रमांक–तीन / निग0 / अशोकनगर / भू0रा0 / 2017 / 2146

चिमनलाल सडाना एवं अन्य 2 **विरूद्ध** **शम्भूलाल**

निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के साथ ही यह भी बताया गया कि सुन्दर धर्मशाला सबंधित भूमि आवेदक द्वारा अनावेदक के पिता से ही रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गयी थी ऐसी स्थिति में अनावेदक को इस भूमि के संबंध में शिकायत करने का कोई अधिकार ही नहीं है वही जब भूमि निजी है तब उसे निजी भूमि की शिकायत करने पर अधीनस्थ न्यायालय को भी कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। यह भूमि आवेदकगण की स्वयं की निजी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.04.17 को निरस्त करने का निवेदन किया गया । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शिकायत पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कहा गया कि यह सुन्दर धर्माशाला की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने के निवेदन के साथ प्रचलित निगरानी अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाया गया, जिसका अवलोकन किय गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.04.2017 से यह निर्देश दिए गये हैं कि विवादित भूमि क्रेता सुन्रदास से चिमललाल सडाना के नाम कैसे आई। इस तथ्य की पुष्टि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में नियत किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में पारित प्रश्नाधीन आदेश से अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संम्भावना हो।

प्रकरण क्रमांक–तीन / निग0 / अशोकनगर / भू0रा0 / 2017 / 2146

चिमनलाल सडाना एवं अन्य 2 विरूद्ध शम्भूलाल

साथ ही उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध है जहां पर उभयपक्ष अपना–अपना पक्ष समर्थन कर सकते है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.04.2017 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.04.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)

सदस्य